



UPM0010061452026

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या-4, मुरादाबाद।

पीठासीन अधिकारी- अंचल लवानियों (एच0जे0एस0)- यू0पी0-2411

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या-1674/2026

आसिम बागडिया उम्र करीब 48 वर्ष पुत्र अजीज निवासी बेरूआ थाना सैफनी
हाल रूकन्दी सराय एवं रूस्तमपुर सहसपु बिलारी ।

....प्रार्थी/अभियुक्त।

बनाम

उत्तर प्रदेश सरकार

.....विपक्षी/अभियोजन पक्ष।

मु0अ0सं0-308/2024,

धारा-458,147,148,149,307,364,366,511,506,-

395,397,324, भा0दं0सं0

थाना मूढांपाण्डे, जिला मुरादाबाद।

1. आवेदक/अभियुक्त आसिम बागडिया की ओर से मुकदमा अपराध संख्या-308/2024, धारा-458, 147, 148, 149, 307, 364, 366, 511, 506, 395, 397, 324, भा0दं0सं0, थाना मूढांपाण्डे, जिला मुरादाबाद में जमानत पर रिहा किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।

2. उभय पक्ष उपस्थित है। दौरान सुनवाई आवेदक/अभियुक्त आसिम बागडिया के विद्वान अधिवक्ता श्री वसीम हसन रजा एडवोकेट द्वारा यह कथन करते हुये कि प्रार्थना पत्र पर बल नहीं देना है। आदेश पत्र के हाशिये पर जमानत प्रार्थना पत्र पर कोई बल न दिये जाने बावत पृष्ठांकन किया गया।

3. सुना। चूंकि स्वयं आवेदक/अभियुक्त की ओर से जमानत प्रार्थना पत्र पर बल नहीं दिया जाना कहा गया है, अतः जमानत प्रार्थना पत्र बल नहीं दिये जाने के कारण निरस्त किया जाता है।

दिनांक 27-05-2026

(अंचल लवानियों)
अपर सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट सं0-4, मुरादाबाद।